

उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी- श्री मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

केम्प-नाहरगढ़

दिनांक 25-05-2018

रण संख्या-305/2012

उनवान

रामा पिता कन्ना भील निवासी हट्टीपुरा तहसील भदेसर

.....वादी

॥ बनाम ॥

चम्पा पिता कन्ना भील निवासी हट्टीपुरा हाल. निवासी जालमपुरा तहसील भदेसर
फुला पिता कन्ना भील निवासी हट्टीपुरा हाल. निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा
गंगा पिता कन्ना भील निवासी हट्टीपुरा हाल. निवासी चांपाखेडी तहसील भदेसर
सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित- श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188,209 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम हट्टीपुरा पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील भदेसर में अवस्थित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:- खाता संख्या 106 के आराजी नम्बर 193/432, 195, 196/436, 207/3, 208 कुल किता 5 कुल रकबा 16बीघा, लगानी 16.56 पैसे एवं खाता संख्या 90 के आराजी नम्बर 193, 194, 202, 203 कुल किता 4, कुल रकबा 7-08 बीघा, लगानी 24.69 पैसे है, साक्ष्य में नकल जमाबंदी सलंगन है।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात पैतृक होकर संयुक्त रूप से काश्त के काम आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मुझ वादी का प्रतिवादीगण कि साथ बराबर हिस्सा बनता हैं। कुलिया खर्च अंकित पक्ष में से वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि का मुझ वादी पक्ष में प्रतिवादीगण पत्र रिलीज डीड दिनांक 10.04.2012 को स्टाम्प संख्या 93 सलंगन पेज एक



25/5/18
उपखण्ड अधिकारी